

अध्याय III

वित्तीय प्रतिवेदन

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना के साथ एक अच्छी आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली, राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावशाली शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार, वित्तीय नियम, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन के साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति के प्रतिवेदन की समयपरता एवं गुणवत्ता अच्छे शासन के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक है। अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन यदि प्रभावशाली एवं क्रियात्मक हो तो चुस्त योजना बनाने एवं निर्णय लेने में राज्य सरकार को उनके प्रबंधात्मक उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहायता मिलती है। यह अध्याय, राज्य सरकार के चालू वित्तीय वर्ष के साथ पूर्व वर्षों के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों का विहंगावलोकन एवं स्थिति प्रस्तुत करता है।

3.1 असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र

बिहार कोषागार संहिता, 2011 का नियम 177 उपबंधित करता है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा कि आकस्मिक विपत्र पर आहरित धन उसी वित्तीय वर्ष में व्ययित कर दिया जाएगा तथा अव्ययित राशि वर्ष के 31 मार्च के पूर्व कोषागार को प्रेषित कर दी जाएगी। पुनः बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 194 के अनुसार जिस महीना में सार विपत्र आहरित की गयी थी, उसके छः माह के भीतर प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत कर दी जाएगी तथा छः माह की अवधि की समाप्ति के बाद कोई सार विपत्र आहरित नहीं की जाएगी यदि विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत नहीं की जाती है।

सार आकस्मिक विपत्रों पर राशि के आहरण एवं समायोजन का वर्षवार व्यौरा नीचे दी गयी है:

तालिका 3.1: लंबित सार आकस्मिक विपत्रों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | आहरित सार आकस्मिक विपत्र | | समायोजित सार आकस्मिक विपत्र | | लंबित सार आकस्मिक विपत्र | |
|------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| 2012-13 तक | 94017 | 31946.11 | 77325 | 29292.92 | 16692 | 2653.19 |
| 2013-14 | 1294 | 728.61 | 155 | 33.96 | 1139 | 694.65 |
| 2014-15(*) | 2097 | 2040.06 | 40 | 6.48 | 2057 | 2033.58 |
| योग | 97408 | 34714.78 | 77520 | 29333.36 | 19888 | 5381.42 |

(*) 2097 आकस्मिक विपत्रों में से ₹ 1845.68 करोड़ की राशि का 959 सार आकस्मिक विपत्र 31 मार्च 2015 के बाद देय होंगे।

(स्रोत: वर्ष 2014-15 के लेखे पर टिप्पणियाँ)

तालिका 3.1 के अनुसार 97408 सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 34714.78 करोड़ में से सिर्फ ₹ 29333.36 करोड़ के 77520 सार आकस्मिक विपत्रों महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार द्वारा समायोजित किया गया। तथापि, नियमित अंतराल पर यह मुद्दा राज्य सरकार के साथ उठाए जाने पर भी 31 मार्च 2015 तक 19888 सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 5381.42 करोड़ का विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत होना बाकी था।

अध्याय III—वित्तीय प्रतिवेदन

संघीक्षा से प्रकट हुआ कि सार आकस्मिक विपत्र पर वर्ष 2014–15 में आहरित ₹ 2040.06 करोड़ में से ₹ 726.65 करोड़ (35.62 प्रतिशत) की राशि मार्च 2015 में आहरित हुई। मार्च में सार आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से अत्यधिक व्यय इंगित करता है कि निकासी मुख्यतः बजट प्रावधानों को व्यपगत होने से बचाने के लिए किया गया था और यह अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है।

3.2 उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

सहायता अनुदान मद में स्थानीय निकायों, धार्मिक, धर्मार्थ या शैक्षणिक संस्थान, वृत्तिका, छात्रवृत्ति, सार्वजनिक प्रदर्शनियों को अंशदान इत्यादि सम्मिलित है। बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 341 (2) कहता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान उतने ही अनुदान का भुगतान करना चाहिए जितनी कि वर्ष के दौरान व्यय का अनुमान है, बिहार कोषागार संहिता, 1937 के नियम 431 के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए विपत्र हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी को देखना चाहिए कि आवश्यकता से पहले धन का आहरण न हो। मार्च महीना में इन अनुदानों के सघन भुगतान का कोई अवसर नहीं होना चाहिए। पुनः, वित्त विभाग का कार्यपालक आदेश दिनांक 16 जनवरी 1975 ने उपयोगिता प्रमाण—पत्र देने के लिए संस्कीकृति की तिथि से एक वर्ष की समय सीमा निर्धारित की। तथापि, निर्धारित समय सीमा का वित्त विभाग के कार्यपालक आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2011 के द्वारा इसे संशोधित कर 18 माह कर दिया गया।

31 मार्च 2015 को लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की स्थिति को तालिका 3.2 में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 3.2: लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की संख्या | राशि |
|------------|---|-----------------|
| 2011-12 तक | 1194 | 14641.73 |
| 2012-13 | 404 | 9090.10 |
| 2013-14 | 112 | 7778.90 |
| | 295* | 5414.30 |
| 2014-15 | 466* | 22359.29 |
| योग | 2471 | 59284.32 |

* उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की संख्या 31 मार्च 2015 को देय नहीं।

(स्रोत: वर्ष 2014–15 के लेखे पर टिप्पणियाँ)

31 मार्च 2015 को ₹ 31510.73 करोड़ राशि का 1710 उपयोगिता प्रमाण—पत्र लंबित था। प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की राशि का 65 प्रतिशत शिक्षा (₹ 12753.40 करोड़ के 396 उपयोगिता प्रमाण—पत्र) तथा पंचायती राज विभागों (₹ 7778.41 करोड़ के 198 उपयोगिता प्रमाण—पत्र) से संबंधित है। निर्दिष्ट अवधियों से परे लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्र अभिप्रेत प्रयोजनों के लिए अनुदान की उपयोगिता पर अविश्वास को दर्शाता है।

जैसा कि वृहत् धन राशि अनुपयोगित है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि का विचलन/दुरुपयोग नहीं हो, विमुक्ति/उपयोग का चूक तथा जबाबदेही की प्राथमिकता होनी चाहिए।

3.3 निकायों और प्राधिकरणों को भुगतान किए गए अनुदानों या ऋणों के ब्योरो का अप्रस्तुतीकरण

संस्थाओं/संगठनों, जिसका लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुभाग 14 तथा 15 के अंतर्गत किया जाता है, को चिह्नित करने के लिए सरकार/विभागाध्यक्षों द्वारा लेखापरीक्षा को प्रत्येक वर्ष विभिन्न संस्थानों को दिए गए वित्तीय सहायता दिए जाने का उद्देश्य तथा कुल व्यय का विस्तृत सूचना देना होता है। पुनः, लेखा तथा लेखापरीक्षा नियमावली, 2007 उपबंधित करता है कि सरकार तथा विभागाध्यक्षों, जो कि निकायों या प्राधिकरणों को अनुदान और/या ऋण संस्वीकृत करते हैं, को प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत तक वैसे निकायों तथा प्राधिकरणों, जिनको अनुदान और/या ऋण कुल ₹ 10 लाख या अधिक का पिछले वर्ष भुगतान किया गया है, के बारे में एक विवरणी जो सहायता का रकम जिसके लिए स्वीकृत की गई उसका उद्देश्य और निकाय या प्राधिकरण का कुल खर्च बताता है, लेखापरीक्षा कार्यालय को देगा।

बिहार सरकार का कोई भी विभाग वर्ष 2014–15 का ऐसा ब्योरा नहीं दिया था। यह मुद्दा वित्त विभाग के साथ मई 2015 में उठाया गया। सितंबर 2015 तक जवाब प्रतीक्षित था।

लेखापरीक्षा द्वारा राज्य में 23 निकायों/प्राधिकरणों को चिह्नित किया गया है जिनका लेखापरीक्षा नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुभाग 14 के अंतर्गत किया जा सकता है जिसमें 22 निकायों/प्राधिकरणों जो **परिशिष्ट 3.1** में दिखाया गया है का लेखापरीक्षा विभिन्न अवधियों के लिए जुलाई 2015 तक किया गया है।

सरकार द्वारा निकायों/प्राधिकरणों को दिए गए वित्तीय सहायता, यह सहायता दिए जाने का उद्देश्य तथा इस तरह के निकायों/प्राधिकरणों द्वारा किए गए कुल व्यय के ब्योरे के अप्रस्तुतीकरण के कारण, विधायिका/सरकार के उन तरीकों के बारे में आश्वासन देना संभव नहीं था जिसके अंतर्गत उनके द्वारा किए गए भुगतान/अनुदानों की संस्वीकृति का उपयोग किया गया है। यह सरकारी व्यय प्रणाली के ऊपर नियंत्रण को कम करता है।

3.4 प्रमाणीकरण हेतु प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब

नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुभाग 20 (1) में वर्णित प्रावधान के अनुसार किसी भी निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा यदि नियंत्रक—महालेखापरीक्षक को किसी कानून के द्वारा सौंपी जाती है या यदि किसी विधान सभा वाले राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है तो लेखापरीक्षा की जिम्मेदारी उनके और संबंधित सरकार के बीच सहमति प्राप्त शर्तों—प्रतिबंधों पर ली जा सकती है तथा ऐसे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों हेतु निकायों एवं प्राधिकरणों के बही एवं लेखाओं तक पहुँच का अधिकार होगा।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा स्थायी रूप से नियंत्रक—महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (2009–10 तक), बिहार राज्य आवास बोर्ड (2003–04 तक) तथा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर (2011–12 तक) के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक—महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी। इन निकायों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण, नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का निर्गमन तथा राज्य विधान मंडल में इनकी प्रस्तुति **परिशिष्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

अध्याय III—वित्तीय प्रतिवेदन

3.5 मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत लंबित शेष

वित्त लेखा उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत निवल शेष को प्रदर्शित करता है। इन शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत लंबित ऋण तथा जमा शेष को अलग से जोड़कर तैयार किया गया। विगत तीन वर्षों के अंत तक कुछ मुख्य उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत सकल आँकड़ों की स्थिति तालिका 3.3 में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.3: उचंत एवं प्रेषण शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

| लघु शीर्ष का नाम | 2012-13 | | 2013-14 | | 2014-15 | |
|--|----------------|---------|----------------|----------|----------------|----------|
| | नामे | जमा | नामे | जमा | नामे | जमा |
| 8658-101—वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत | 214.35 | 0.00 | 235.47 | 0.00 | 245.63 | 0.00 |
| निवल | (नामे) 214.35 | | (नामे) 235.47 | | (नामे) 245.63 | |
| 8658-102—उचंत लेखा (सिविल) | 1707.43 | 253.37 | 1778.62 | 258.09 | 3423.16 | 282.10 |
| निवल | (नामे) 1454.06 | | (नामे) 1520.53 | | (नामे) 3141.06 | |
| 8658-110—रिजर्व बैंक उचंत—केंद्रीय लेखा कार्यालय | 1237.71 | 894.60 | 1225.14 | 894.60 | 1235.26 | 894.60 |
| निवल | (नामे) 343.11 | | (नामे) 330.54 | | (नामे) 340.66 | |
| 8782-102—लोक निर्माण प्रेषण | 8624.88 | 8806.17 | 12047.47 | 12187.96 | 11913.94 | 11994.34 |
| निवल | (जमा) 181.29 | | (जमा) 140.49 | | (जमा) 80.40 | |
| 8782-103—वन प्रेषण | 127.82 | 119.95 | 208.11 | 185.49 | 248.82 | 227.19 |
| निवल | (नामे) 7.87 | | (नामे) 22.62 | | (नामे) 21.63 | |

(स्रोत: वर्ष 2014-15 के लेखे पर टिप्पणियाँ)

वर्ष 2013-14 की तुलना में 101—वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत के अंतर्गत ₹ 10.16 करोड़ (नामे), 102—उचंत लेखा (सिविल) के अंतर्गत ₹ 1620.53 करोड़ (नामे) तथा 110—रिजर्व बैंक उचंत—केंद्रीय लेखा कार्यालय के अंतर्गत ₹ 10.12 करोड़ (नामे) की निवल वृद्धि हुई।

यदि ये राशि असमाशोधित रह जाते हैं तो उचंत शीर्ष के अंतर्गत शेष संचित हो जाएगी तथा सरकार के व्यय का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करेगी। इस प्रकार, उचंत शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष के समाशोधन के लिए प्रबल रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है।

3.6 अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 176 के अनुसार, जब तक तुरंत भुगतान की आवश्यकता नहीं हो, कोषागार से धन आहरित नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, नियम 177 के अनुसार कोषागार से व्यय की प्रत्याशा में, कार्य के क्रियान्वयन हेतु जिसे पूर्ण करने में बहुत समय लग सकता है अथवा विनियोजन की व्यपगत होने से बचने के लिए अग्रिम का आहरण करना स्वीकार्य नहीं है। यदि विशेष परिस्थिति में धन का अग्रिम आहरण होता है तो ऐसी आहरित राशि का अव्ययित शेष अगले विपत्र अथवा चालान, जो पहले संभावित अवसर हो, में न्यून आहरण द्वारा कोषागार में वापस जमा करना चाहिए तथा किसी तरह आहरित राशि उसी वित्तीय वर्ष के अंत तक जमा होनी चाहिए। जिसमें यह आहरित हुई है।

यह पाया गया कि अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का ₹ 186.08 करोड़, आठ संबंधित विभागों/संगठन के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा 31 मार्च 2015 तक आहरित किया गया। 31 मार्च 2015 तक लंबित अग्रिम एवं अग्रदाय का विभागवार/संगठनवार विश्लेषण तालिका 3.4 में दिया गया है।

तालिका 3.4: लंबित अग्रिम एवं अग्रदाय का विभागवार/संगठनवार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

| क्रम सं. | विभाग/संगठन का नाम | असमायोजित अग्रिम एवं अग्रदाय की कुल राशि | | |
|----------|---------------------------------|--|---------|---------------|
| | | अस्थायी अग्रिम | अग्रदाय | कुल |
| 1 | भवन निर्माण | 5.69 | 2.15 | 7.84 |
| 2 | सिंचाई | 36.93 | 10.86 | 47.79 |
| 3 | राष्ट्रीय राजमार्ग | 0.82 | 0.12 | 0.94 |
| 4 | लोक स्वारक्ष्य अभियंत्रण | 8.38 | 3.33 | 11.71 |
| 5 | पथ निर्माण | 67.52 | 0.24 | 67.76 |
| 6 | ग्रामीण कार्य | 9.95 | 9.65 | 19.60 |
| 7 | स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन | 16.49 | 9.66 | 26.15 |
| 8 | नलकूप तथा लघु सिंचाई | 2.08 | 2.21 | 4.29 |
| योग | | | | 186.08 |

(स्रोत: वर्ष 2014–15 के लेखे पर टिप्पणियाँ)

अग्रिम एवं अग्रदाय के लंबित मामले, वृहत् राशि के अग्रिम के समायोजन संबंधी विधिक प्रावधान के अनुपालन में विभागीय अधिकारियों की शिथिलता प्रदर्शित करती है।

3.7 प्राप्तियों एवं व्यय का असमाशोधन

बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 475 (viii) के अनुसार विभागाध्यक्ष द्वारा संधारित लेखा में दिये गए आँकड़ों तथा महालेखाकार (ले. एवं हक.) के पुस्त में दर्शायी गई आँकड़ों के समाशोधन हेतु विभागाध्यक्ष तथा महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे। समाशोधन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभागीय लेखा व्यय का कुशल विभागीय नियंत्रण प्रदान करने हेतु उपयुक्त रूप से सही है।

तथापि, संवीक्षा से प्रकट हुआ कि पूर्व प्रतिवेदनों में विभागीय लेखा के असमाशोधन के मामलों के इंगित किए जाने तथा महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा अनुसरणों के बावजूद नियंत्री पदाधिकारी द्वारा ऐसी चूक 2014–15 के दौरान भी जारी रही। वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 90720.39 करोड़ के कुल व्यय के विरुद्ध कुल व्यय का सिर्फ ₹ 35942.61 करोड़ (39.62 प्रतिशत) का समाशोधन हुआ। वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 78417.54 करोड़ की कुल प्राप्ति में से नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा सिर्फ ₹ 58378.97 करोड़ (74.45 प्रतिशत) का समाशोधित किया गया। कुल 20465 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों में सिर्फ 2492 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने (12.18 प्रतिशत) ही 31 मार्च 2015 तक अपने लेखाओं का समाशोधन किए हैं।

3.8 बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष – 800 का परिचालन

लघु शीर्ष ‘800—अन्य प्राप्तियाँ’, तथा ‘800—अन्य व्यय’ के अंतर्गत प्राप्तियों अथवा व्यय को दर्ज करने को प्राप्तियाँ तथा व्यय का अपारदर्शी वर्गीकरण माना जाता है, क्योंकि ये शीर्ष राशि से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों को प्रकट नहीं करते हैं। यह शीर्ष उपलब्ध कार्यक्रम लघु शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं होने वाले व्यय को समायोजित करता है।

वर्ष 2014–15 के दौरान, व्यय भाग के 25 राजस्व तथा पूँजीगत मुख्य शीर्ष के खातों के अंतर्गत कुल ₹ 461.55 करोड़ का व्यय लघु शीर्ष ‘800 – अन्य व्यय’ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया जो कि संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय का 0.51 प्रतिशत था। इसी तरह, राजस्व प्राप्तियाँ (सहायता अनुदान को छोड़कर) के 43 राजस्व मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ₹ 470.52 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियाँ लघु शीर्ष—‘800—अन्य प्राप्तियाँ’ के अंतर्गत वर्गीकृत की गयी जो कि संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल राजस्व प्राप्ति का 0.60 प्रतिशत था। लघु शीर्ष ‘800—अन्य व्यय/प्राप्तियाँ’ के अंतर्गत वास्तविक रूप से दर्ज (संबंधित मुख्य शीर्षों के अधीन दर्ज कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक) उदाहरणों को परिशिष्ट 3.3 में दर्शाया गया है। जैसा कि संबंधित मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष ‘800 – अन्य व्यय’ के अंतर्गत व्यय की राशि 50 प्रतिशत से कम थी, इसलिए अलग से परिशिष्ट रूप से संलग्न नहीं किया गया है।

3.9 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र

➤ विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की प्रस्तुति न होने के कारण सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 5381.42 करोड़ की महत्वपूर्ण राशि मार्च 2015 तक लंबित थे।

राज्य सरकार द्वारा विद्यमान नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की ससमय प्रस्तुति सुनिश्चित करना चाहिए।

उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

➤ विभिन्न विभागों द्वारा सहायता अनुदान विपत्र (जी.आई.ए.) के विरुद्ध आहरित ₹ 31510.73 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण—पत्र 31 मार्च 2015 तक लंबित था। सहायता अनुदान विपत्रों के विरुद्ध वृहत् राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की अप्राप्ति, अभिप्रेत प्रयोजन हेतु अनुदान के ससमय व्यवहार के लिए नियम एवं पद्धति का पालन करने में विभागीय अधिकारियों की विफलता प्रदर्शित करती है।

राज्य सरकार द्वारा अभिप्रेत प्रयोजन हेतु अनुदान की ससमय उपयोगिता एवं उसके विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की प्रस्तुति सुनिश्चित करना चाहिए।

प्रमाणीकरण हेतु प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतीकरण में विलंब

➤ सभी चार प्राधिकरणों अथवा निकायों द्वारा प्रमाणीकरण के लिए लेखा/लेखापरीक्षा की प्रस्तुति में एक साल एक महीना से तीन वर्षों से अधिक विलंब था।

सरकारी विभागों द्वारा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा की ससमय प्रस्तुति सुनिश्चित करना चाहिए।

अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन

➤ आठ विभागों/संगठन द्वारा 31 मार्च 2015 तक आहरित ₹ 186.08 करोड़ के अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय असमायोजित थे।

सरकारी विभागों/संगठन द्वारा वर्ष के अंत तक अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय की वसूली/समायोजन सुनिश्चित करना चाहिए।

प्रवीण कुमार सिंह

पटना

दिनांक: 15 जनवरी 2016

(प्रवीण कुमार सिंह)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

नई दिल्ली

दिनांक: 19 जनवरी 2016

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक